

स० /No: 6895



भारत / INDIA

ना.वि. 23 / C.A. 23

नागर विमानन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION  
उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र / CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

राष्ट्रीयता तथा पंजीकरण चिन्ह / Nationality and Registration Mark	विमान का निर्माता तथा विमान निर्माता द्वारा विमान को दिया गया नाम/ Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft	विमान क्रम सं० / Aircraft Serial No
VT-KNP	HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED TRANSPORT AIRCRAFT DEVISION PO: CHAKERI, KANPUR- 208008, UTTAR PRADESH, INDIA  DO 228-201 (UPGRADED)	HAL- K/DO228/4130
वर्ग/Category:	NORMAL	
उप-प्रभाग /Sub Division	PASSENGER	
आवश्यक न्यूनतम कर्मीदल / Minimum Crew Necessary:	TWO	
प्राधिकृत अधिकतम कुल भार / Maximum All-Up-Weight Authorized:	6200 KG	

इस विमान का परिचालन इस विमान के संबंध में जारी की गयी अनुमोदित उड़ान नियमावली तथा उसमें किये गये उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार किया जायेगा । यह उड़ान नियमावली प्रमाण-पत्र का एक भाग समझा जायेगा तथा विमान में जायेगा ।

This aircraft is to be operated in accordance with the approved Flight Manual and its subsequent amendments, issued in respect of this aircraft. The Flight Manual shall form a part of this C of A and shall be carried on board.

यह उड़न-योग्यता प्रमाणपत्र उपर्युक्त विमान जिसे पुर्वोक्त शर्तों एवं सम्बद्ध परिचालन परिसीमाओं के अनुरूप सांघारित और प्रचालित किये जाने पर उड़न-योग्य समझा जाता है, उसके लिए 7 दिसम्बर, 1944 के अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन विषयक अगिसमय, तथा समय-समय पर यथा संशोधित विमान नियमावली, 1937, के अनुसार जारी किया जाता है ।

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated the 7th December, 1944, and the Aircraft Rules, 1937 as amended from time to time, in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent Operating Limitations.

यदि उपरोक्त अनिवार्य शर्तें पूरी कर दी गयी हैं तो, यह प्रमाण-पत्र उड़न-योग्यता पुनरावलोकन प्रमाण-पत्र की वैधता रहने तक वैध रहेगा बशर्त कि इस प्रमाण पत्र को वापस नहीं ले लिया जाता अथवा निलम्बित नहीं कर दिया जाता ।

This certificate of Airworthiness shall remain valid, subjected to the above compulsory conditions being fulfilled along with valid Airworthiness Review Certificate, unless withdrawn, or suspended.

हरताक्षर /Signature

नाम /Name (Sandhya Saxena)

पदनाम/मोहर/Designation/Seal (DDAW)

जारी करने की तारीख / Date of issue: 21.12.2017

नई दिल्ली / NEW DELHI

